न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मुत.(6ए)संख्या 10/24 तारीख रज्जू–07/05/24

1. सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह मीना प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय गंगापुर सिटी – प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिलीप कुमार अग्रवाल निवासी कर्मचारी कालोनी, गंगापुर सिटी –अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

–: निर्णय :– दिनांक 10.09.2024

प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 02/05/2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 23/04/2024 को जिला रसद अधिकारीएवंसुरेन्द्र सिंह मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु दिलीप कुमार अग्रवाल पर घरेलू गैस सलेण्डर को व्यवसायिक कार्यो मे अवैध उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये नौ गैस सिलेन्डर एवं रिफलिग हेतु बांसुरी को राजसात (**Confiscate**) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 23/04/2024 को जिला रसद अधिकारी एवंसुरेन्द्र सिंह मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम की सूचना पर लाटा हाउस गली उदेई गोड के पास मौके पर पहूँचकर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर दिलीप कुमार अग्रवाल निवासी कर्मचारी कालोनी, गंगापुर सिटी उपस्थित मिले तथा श्री दिलीप कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में दुकान की तलाशी लेने पर दुकान परिसर में दो इण्डेन कम्पनी के धेरलू गैस सिलेण्डर, 2 एच पी कम्पनी के धेरलू गैस सिलेण्डर, एक भारत गैस कम्पनी का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 1 छोटा इण्डेन कम्पनी का धेरलू गैस सिलेण्डर , 1 छोटा इण्डेन कम्पनी का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, दो बिना मार्क के लाल रंग के छोटे गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग हेतु बासुरी भंडारित पाये गये। दिलीप कुमार अग्रवाल से धेरलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण व उपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा

10/9/24

पत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारन व उपयोग से संबंधित किसी भी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। पूछताछ में दिलीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह शादी विवाह में उपयोग में लिये जाने वाले सिलेण्डर जिनमे कुछ मात्रा में गैस बची रहती है, उनसे ले आता हू और बासूरी की मदद से दूसरे सिलेण्डरों में भरकर उपभोक्ताओं को बेचता हूँ। अप्रार्थी द्वारा घेरलू गैस सिलेण्डरों से गैस को अन्य गैस सिलेण्डर (घरेलू/व्यसायिक) में भरकर उपभोक्ताओं को बेचता है। मौके पर उपस्थित श्री दिलीप कुमार अग्रवाल द्वारा किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मय दो इण्डेन कम्पनी के घेरलू गैस सिलेण्डर, 2 एच पी कम्पनी के घेरलू गैस सिलेण्डर, एक भारत गैस कम्पनी का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 1 छोटा इण्डेन कम्पनी का घेरलू गैस सिलेण्डर , 1 छोटा इण्डेन कम्पनी का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, दो बिना मार्क के लाल रंग के छोटे गैस सिलेण्डर व रिफिलिगं हेतु बासूरी को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जप्ताशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुंसार हैः–

क्र. स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	खाली सिलेण्डर का विजन कि.ग्रा.	शुद्ध गैस
1	इण्डेन	144519	30.7	16.5	14.2
2	भारतगैस (व्यावसायिक)	0187762S	31.1	19.5	11.6
3	एचपी	262962S	21.3	15.7	5.6
4	एचपी	113238P	18.2	15.5	2.7
5	इण्डेन (छोटा) व्यवसायिक	121176E	11.1	8.4	2.7
6	इण्डेन (छोटा) घेरलू	001983T	14.1	8.3	5.8
7	इण्डेन	095731S	23.4	15.4	8.0
8	लाल रंग का बिना मार्क का छोटा सिलेण्डर	–	3.4	खाली	–
9	लाल रंग का बिना मार्क का छोटा सिलेण्डर	–	4.4	खाली	–
10	बांसुरी	–	–	–	–
	कुल गैस भार	–	157.7	99.3	50.6

साथ ही पैरोकार रसद ने प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 9 गैस सिलेन्डर मय बांसुरी को राजसात किये जाने बाबत निवेदन किया ।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जबाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवदेन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध कि गयी कार्यवाही विधि विरूद्ध है तथा प्रार्थी को पुलिस का भय दिखाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये है। प्रार्थी केवल गैस चूल्हा मरम्मत

10/9/24

करने की मजदूरी करता है। अप्रार्थी के घरेलू कार्यक्रम हेतु अपने मिलने वालों से मांगकर लेकर आया था। अन्य गैस सिलेण्डर भारत गैस व्यावसायिक एवं लाल रंग के मार्का के छोटे दो सिलेण्डर और बांसुरी से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई जब्ती नहीं हुई है। प्रार्थी ने उक्त सिलेण्डरों के सभी व्यक्तियों से कनेक्शन के दस्तोवज मंगवाकर प्रर्वतन निरीक्षक को दे दिये थे। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तोवज वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर सुपुर्द करने एवं प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाने का निवेदन किया।

पैरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी दिलीप कुमार अग्रवाल की दुकान पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 23/04/2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 9 गैस सलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड , अप्रार्थी स्वयं के मौका फर्द पर हस्ताक्षर तथा पैरोकार रसद द्वारा कहे गये कथन से होती हैं। अप्रार्थी स्वयं ने अपने बयान में अंकित किया है कि वह शादी विवाह में उपयोग में लिये जाने वाले सिलेण्डर जिनमे कुछ मात्रा में गैस बची रहती है, उनसे ले आता हू और बासूरी की मदद से दूसरे सिलेण्डरों में भरकर उपभोक्ताओं को बेचता हूँ। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 9 गैस सिलेन्डर मय बासुरी को राजसात (Confiscate)किया जाता है। जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 9 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

10/9/24
(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी